संख्या– /VI–I/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय
उत्तरांचल देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून : दिनांक 31 दिसम्बर, 2005

विषयः–जनजातीय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित पर्वतीय विस्सू सांस्कृतिक महोत्सव–2005 के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–60/स0नि0उ0/चार–110/2005–2006 दिनांक–25 अप्रैल 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल में गैर सरकारी संस्था जौनसार बाबर छात्र विकास समिति, ग्राम व पो0ओ0–लाखामण्डल, तहसील चकराता देहरादून को जनजातीय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित पर्वतीय विस्सू सांस्कृतिक महोत्सव–2005 के आयोजन हेतु पूर्व में निर्गत धनराशि रूपये 25,000/– हजार (रूपये पच्चीस हजार मात्र) को रूपये 149000.00 (रूपये एक लाख उडनचास हजार मात्र) हजार में से घटाते हुए यानि 149000–25,000= 1,24,000/– (रूपये एक लाख चौबीस हजार मात्र) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस अनुदान को भविष्य के लिए दृष्टांत नहीं माना जायेगा और यह आर्वतक अनुदान के रूप में नहीं होगा।

2. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय,, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4. इस संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यो/प्रोजेक्ट की हाई व साफट प्रतियां जैसा लागू है में प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

5. धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को दि0–31–3–2005 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

6. भविष्य में संस्था द्वारा यदि शासकीय अनुदान लिया जाना हो तो वे अपना प्रस्ताव पर्याप्त समय पूर्व पूर्ण विवरण सहित निदेशक संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे व उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर ही आयोजन सम्पन्न करेंगे।

7. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन आयोजनागत–03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42–अन्य व्यय मानक मद के नामें डाला जायेगा।

8. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 468/वित्त XXVII (3) 2005 दिनांक–28 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 471 /VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त कुमांयु/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन
7. एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव